कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

सट्टा की खाईवाली करते 06 व्यक्ति गिरफ्तार तथा 9090/—रूपये नगद एवं एक करोड रूपये का हिसाब बरामद

जयपुर 1 अगस्त। झालावाड के पुलिस थाना झालरापाटन ने आज मंगलवार को संयुक्त कार्यवाही करते हुए सट्टा की खाईवाली करते 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 9090/—रूपये नगद एवं एक करोड रूपये का हिसाब बरामद करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक झालावाड श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना झालरापाटन के थानाधिकारी श्री हीरालाल सैनी पु0नि0 व जिला विशेष शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ की टीम के सदस्यगण श्री लक्ष्मणसिंह पु.नि, कानिस्टेबल श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री रवि दुबे, श्री चांद सिंह, श्री विजय, मोहम्मद आवेश, श्री अशोक कुमार द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए गोपाल कृश्ण पालीवाल के रिहायशी मकान पर दबिश देकर मोबाईल फोन के माध्यम से खाईवाली करते हरिश मंत्री पुत्र धनश्याम मंत्री, विनोद सिंह पुत्र जगदीश सिंह, मोनू वर्मा पुत्र पुरीलाल मेघवाल, संजय राठोर पुत्र श्री राधेश्याम तैली, अविनाश चौहान पुत्र भारत भूशण सेन व सतीश कुमार पुत्र सम्पतराज पोरवाल को गिरफ्तार किया जबकि सट्टे का मुख्य खाईवाल गोपाल कृश्ण पालीवाल फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमो के कब्जे से 9090/—रूपये नगद, 15 मोबाईल, 8 केलकुलेटर व सट्टा उपकरण सहित करीब एक करोड रूपये का हिसाब बरामद किया गया।

राही/सन्तरा/561/2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध मादक पदार्थ स्मैक 960 ग्राम सहित 3 आरोपी गिरफ्तार।

जयपुर 1 अगस्त। कोटा ग्रामीण के थाना मोडक पुलिस ने गश्त दौरान एवं सार्वजनिक स्थान से चैकिंग मुल्जिम अमर सिहं पुत्र गोपाल सिहं जाति सोन्धीया राजपुत उम्र 37 साल निवासी मोयाखेडी थाना भवानी मण्डी जिला झालावाड, दानी सिहं पुत्र फुलचन्द जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी नारीया बुजुर्ग थाना गरोठ जिला मन्दसोर मध्यप्रदेश तथा कृष्णा नन्द सिंह पुत्र रमेश कुमार जाति ब्रहाम्ण उम्र 26 साल निवासी कनीहर थाना बडागांव जिला वाराणसी यू.पी. को अवैध अफीम 960 ग्राम बिना अनुज्ञापत्र के परिवहन करते हुये को पकडा। उक्त मुल्जिम के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट में कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है।

राही/सन्तरा/562/2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

अवैध हथियार सहित 2 जने चढे पुलिस के हत्थे

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

1 बन्दूक मय 2 कारतूस बरामद

जयपुर 1 अगस्त। भरतपुर जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 1 अवैध बन्दूक 12 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस जप्त कर 2 ब्यक्तियों को गिरफ्तार में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल कुमार टॉक ने बताया कि **थाना कामां के** थानाधिकारी श्री राकेश कुमार मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान पहाडी बस स्टेण्ड के पास कस्वा कामां में पैदल–पैदल अवैध हथियार ले जाते हुये पाये जाने जाने पर आरोपी **जैद पुत्र ममरेज** व **खुर्शीद पुत्र सुल्तान जातियान मेव निवासियान खेडा थाना कैथवाडा** को 1 अवैध बन्दूक 12 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

पिस्टल से जानलेवा फायर करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार

एक पिस्टल व 6 कारतूस बरामद

जयपुर 1 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल कुमार टॉक ने बताया कि 7 जुलाई,2017 रात्रि को थाना मथुरागेट पर सूचना मिली कि कचहरी के पीछे हरीजन बस्ती में एक व्यक्ति के किसी ने गोली मार दी है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी थाना मथुरागेट श्री वीरेन्द्र शर्मा मय जाप्ता के मौके पर पहूँचे तो मौके पर तेजवीर पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी बछामदी थाना चिकसाना के गोली लगने से घायल

अवस्था में पडा मिला। जिसको तुरंत इलाज हेतु आरबीएम अस्पताल ले जाया गया एवं घायल युवक के पर्चा बयान लिये गये तो घायल तेजवीर ने गोली मरने वाले बदमाशों के रूप में कुलदीप पुत्र कुमरजीत निवासी जघीना एवं विजयपाल पुत्र वीरों पहलवान को नामजद करते हुए उनके द्वारा गोली मारना बताया गया। जिसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर श्री विजय गौतम उ0नि0 द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

श्री अनिल कुमार टॉक ने बताया कि घायल तेजवीर की हालत नाजुक होने पर उसे रात्रि में ही जयपुर रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये और मामले के खुलासे व आरोपियों की धरपकड के विशेष पुलिस टीम घटित की जाकर अनुसंधान किया गया तो मामले में गोली मार कर घायल करने वाले नामजद आरोपियों का घटना में शामिल नहीं होना सामने आया।

टॉक ने बताया कि ऐसी स्थिती में मामले की गुत्थी सुलझाने हेतु टीम द्वारा अथक प्रयास कर वारदात करने वाले आरोपी नेहनू उर्फ हरेन्द्र पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ऊँचा नगला थाना चिकसाना व जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र कप्तानसिंह जाति जाट निवासी नगला नाऊ थाना चिकसाना की पहचान सुनिश्चित कर आरोपियों की तलाश की गई तो वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस पकड से बचने के लिये इधर–उधर छिपकर भागते रहे जिन्हे मुखबिर की सूचना पर ब्रिगेडियर घासीराम चौराहे के पास मडरपुर रोड से गिरफतार किया गया।

उन्होंने बताया कि आरोपी नेहनू के कब्जे से एक पिस्टल मय मैंगजीन व 6 कारतूस बरामद किये गये हैं। इसके द्वारा उसने वारदात करना कबूल किया है। आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि एक गोली चलाने के बाद पिस्टल लॉक हो गई थी। इस कारण और गोली नहीं चला सके। व मौके से भागना पडा। वारदात करने के कारणों के सम्बध में अनुसंधान जारी है। गिरफतार शुदा दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवृति के बदमाश हैं। जिनमें नेहनू थाना चिकसाना का हिस्ट्रीशीटर है।

राही/सन्तरा/563/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

राहगिरों से मोबाईल लूट गिरोह का पर्दाफास आरोपी गिरफतार

जयपुर 1 अगस्त। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि जिले में लगातार हो रही चोरियों की रोकथाम व लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। जिस पर थाना नीमराणा के थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा आज मंगलवार को आरोपी सचिन पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल उम्र 20 साल निवासी बिहारीपुर डाबला थाना पाटन नीमका थाना जिला सीकर को मोबाईल लूट के प्रकरण में गिरफतार किया गया तथा आरोपी से पुछताछ की जाकर अन्य आरोपीयों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी बाईक पर सवार होकर रास्ते में जाते हुए राहगीरों को रोक कर डरा–धमकाकर व हाथा पाई कर राहगीरों से जबर दस्ती मोबाईल,नगदी व अन्य सामान छीन कर भाग जाता है।

उन्होंने बताया कि श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री डालचन्द जाति कुश्वाह निवासी खिरागढ आगरा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 31 जुलाई,2017 को में सांय करीब 08.30 पीएम पर मै नीमराना बाजार कैम्बे होटल वाली गली से पैदल पैदल जा रहा था इसी दौरान पिछे से तीन लडके प्लसर मोटरसाईकिल पर आए जो मेरा मोबाईल, तीन सौ रूपये व कागजात छीनकर ले गए।

राही/सन्तरा/564/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

<u>कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर</u>

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

<u>महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने संभाला कार्यभार</u>

पुलिस की प्राथमिकता होगी कि आम जनता में पुलिस का विश्वास कायम हो

– महानिदेशक पुलिस

जयपुर एक अगस्त। नव पदस्थापित महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह, आईपीएस ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर लेकर महानिदेशक पुलिस का कार्यभार विधिवत रूप से संभाल लिया हैं।

इस मौके पर श्री सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए बताया कि वे पुलिस की कार्यशैली ऐसी बनाना चाहते हैं जिससे कि पुलिस का आम जनता में विश्वास कायम हो सके। उन्होंने बताया कि विश्वास कायम होने के बाद अपराधियों के खिलाफ जनता खुद पुलिस के लिये मुखबरी करने की हिम्मत करेगी। इससे जहां अपराध कम होंगे वहीं अपराधियों पर भी अंकुश लगेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस व पब्लिक के मध्य संवाद बने रहना चाहिये। पब्लिक से मिली सूचना से ही पुलिस सफल होती है। थाना स्तर पर सीएलजी बनाई हुई है फिर भी थाना पुलिस के पुलिसकर्मियों को चाहिये की वे अधिक से अधिक पब्लिक से जुडे और लोगों से अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए कि जनता को उस पर विश्वास हो।

श्री सिंह ने साइबर क्राइम को इंटरनेशनल चुनौति बताते हुए कहा कि विदेशों में तो अंडरवर्ल्ड में ऐसी ऑन लाइन अनेक कम्पनियां है, जहां से हथियारों की ऑन लाइन शापिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां अभी ऐसी चुनौतियां नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पीडित को तत्काल न्याय मिले तथा असहाय गरीब एवं दलितों के अलावा महिलाओं की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

महानिदेशक पुलिस ने सडक दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु दर को कम करने की हिमायत करते हुए बताया कि सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस द्वारा अथक

प्रयास किये जा रहे है, लेकिन आम जनता के जागरूक हुए बिना इनका कम होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की धर–पकड़ के लिये शहर में नाकाबंदी करना मुश्किल होता है इससे आमजन को काफी असुविधा होती है। इसके लिये नये तरीके इजाद कर शहर के बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी को मजबूत बनाया जायेगा।

श्री सिंह ने कहा कि लंबित मामलो के निस्तारण के लिये अनुसंधान अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि साईबर क्राईम के अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक ठोस कदम उठाये जायेंगे, ट्रेनिंग को और कारगर बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था, सुरक्षा बनाये रखने की है, जिसके लिए हम कटिबद्ध है।

इससे पूर्व नव पदस्थापित महानिदेशक पुलिस को पुलिस मुख्यालय में आगमन पर पांचवीं बटालियन आरएसी की 51 सदस्यीय टुकडी ने राजस्थान पुलिस के बैण्ड की मधुर धुन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात महानिदेशक पुलिस ने वहां उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों व कार्मिको से परिचय प्राप्त करने के बाद कार्यालय पहुंचकर कार्यभार सम्भाला।

इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था श्री एन.आर.के.रेड्डी, अतिरिक्त महानिदेशक अपराध श्री पंकज कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण श्री नन्द किशोर, अतिरिक्त महानिदेशक इंटेलिजेंस श्री यू.आर.साहू, अतिरिक्त महानिदेशक मानव अधिकार श्री एम.एल. लाठर, अतिरिक्त महानिदेशक हाउसिंग श्री पोन्नूचामी, अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता श्री डी.सी.जैन, अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस श्री उमेश मिश्रा, अतिरिक्त महानिदेशक आर्म्ड बटालियन श्री ओ.पी.गल्होत्रा, अतिरिक्त महानिदेशक वायर लेस श्री सुनील कुमार मेहरोत्रा, अतिरिक्त महानिदेशक एससीआरबी श्री कपिल गर्ग, अतिरिक्त महानिदेशक एएचटी श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पीएण्ड डब्ल्यू श्री भूपेन्द्र दक, अतिरिक्त महानिदेशक कार्मिक श्री भूपेन्द्र सिंह एवं पुलिस आयुक्त जयपुर श्री संजय अग्रवाल सहित जयपुर में पदस्थापित पुलिस अधिकारी एवं पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में महानिदेशक पुलिस श्री सिंह के परिवारजन भी मौजूद थे।

पुलिस महानिदेशक ने दिये उच्चाधिकारियों को निर्देश

अपराधों की रोकथाम एवं आम आदमी की सुरक्षा के लिये तैयार करें कार्ययोजना

– पुलिस महानिदेशक

जयपुर, एक अगस्त। महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने पुलिस उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस विभाग

द्वारा एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाये, जिससे कि आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके।

श्री सिंह मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग एवं पुलिस रेंजवार अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों खासकर महिला अपराधों की रोकथाम के लिये विशेष प्रयास किये जाये।

पुलिस महानिदेशक ने रेंजवार कानून व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद निर्देश दिये कि अपराध एवं अपराधी तक पहुंच बनाने के लिये पुलिस को निरंतर अपग्रेड रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिये इन्वेस्टिगेशन स्किल को मजबूत बनाना होगा।

उन्होंने निर्देश दिये कि ओवर लोडिंग मामलो में चालान किये जाये जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उन्होंने भरतपुर रेंज में अवैध खनन, बजरी दोहन एवं आरक्षण जैसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश दिये।

श्री सिंह को कोटा रेंज अधिकारी ने कोटा कोचिंग सेन्टरों की मनमानी एवं छात्र–छात्राओं पर अत्यधिक मानसिक तनाव की जानकारी देते हुए बताया कि कोटा में छोटे अपराध अधिक होते हैं, इन पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है। जोधपुर रेंज में क्रुड ऑयल की चोरी की घटना की जानकारी जोधपुर रेंज आफिसर ने बताया कि पहली बार पुलिस ने कार्यवाही कर करोड़ों रुपये के होने वाले क्रूड ऑयल चोरी का पर्दाफाश कर पुलिस ने एक बढ़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है।

बैठक में पुलिस मुख्यालय के सभी उच्चाधिकारी एवं प्रदेश के सभी रेंज अधिकारी उपस्थित थे।

राही/मनीष/सन्तरा/अमन/ /2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।